

Q292

<http://labour.mp.gov.in/Default.aspx>

श्रम सेवा पोर्टल
श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन

होम पेज | कौन कहीं | सामान्य प्रश्न | सहायता केंद्र

श्रमायुक्त कार्यालय | मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रम कल्याण मंडल | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ

Welcome to E-Governance Portal of Madhya Pradesh Government, Labour Department

स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाईयों को श्रम कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश। **new**

श्रम विभागीय सेवाओं को मोबाइल एप- "एप- श्रम सेवा एप" के माध्यम से नागरिकों को आगामी गणतंत्र दिवस से उपलब्ध कराने विषयक। **new**

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस (सिंगल विंडो) <ul style="list-style-type: none">प्रमुख श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियोंआवेदन शुल्क जमा करने की विधिस्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)	मज्ठीया वेतन बोर्ड की अनुशंसाएं <ul style="list-style-type: none">क्रियान्वयन की स्थितिमज्ठीया वेतन बोर्ड – मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय	ऑनलाइन सेवाएं <ul style="list-style-type: none">दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाएँकारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवाएँठेका श्रम अधिनियम अंतर्गत प्रमुख नियोजक show
---	--	--

http://labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

r.mp.gov.in/LabourC x Google x Google x Search x Search x

labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

(द) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996
(i) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत स्थापनाओं का पंजीयन

(इ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
(i) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति

(फ) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
(i) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 स्थापना का पंजीयन

II. आवेदन शुल्क जमा करने की विधि

(i) साईबर ट्रेजरी के माध्यम से:- साईबर ट्रेजरी वेबसाईट पर जाये, 'Other Departments' बटन पर क्लिक करें एवं 'Departments' के अन्तर्गत 'Labour' का चयन करें। अन्य संबंधित जानकारी भरे! नेटबैंकिंग अथवा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से शुल्क जमा करें। ट्रेजरी वेबसाईट द्वारा जनित चालान को सेव कर उसका प्रिंट प्राप्त करें। अब, चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।
(ii) बैंक चालान के माध्यम से:- किसी भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में शुल्क जमा करे तथा चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।

III. स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)

(i) स्व-प्रमाणीकरण योजना (मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना)
(ii) स्व-प्रमाणीकरण योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र

IV. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

(i) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जांच सूची
(ii) श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप
(iii) श्रम आयुक्त द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जारी किये गये नवीनतम दिशा निर्देश
(iv) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन के निरीक्षण संशोधन तथा संशोधन सहित नवीनीकरण के प्रकरणों के संबंध में स्थल निरीक्षण द्वारा भौतिक सत्यापन के संबंध में निर्देश।श
(v) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गये नवीनतम दिशा-निर्देश
(vi) कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण के प्रावधान।

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81

The screenshot shows a web browser window displaying the Madhya Pradesh Labour Portal. The page title is "Form Details: Inspection Guidelines". The form information is as follows:

Form No :	Inspection	Form Title :	Inspection Guidelines
Form Type :	Inspection Guidelines	Form For :	Public
Form Details :	Inspection Guidelines	Download Link	Download attachment View attachment

The main content area contains the following text:

(v) श्रमिकों को लागबुक प्रदाय की गई है अथवा नहीं यह भी देखा जाये।

(6) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(i) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कारखाना अथवा ऐसे संस्थान जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं में निरीक्षण संपादित किया जाये। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य संबंधी संस्थानों में भी यह अधिनियम प्रभावशील किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत

निरीक्षण करते समय उन संस्थानों में विशेष रूप से निरीक्षण किया जावे, जहां बोनस का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

The browser's taskbar shows several open PDF files: "Labour - Point no. 246.pdf", "Labour - Point no. 246.pdf", and "Q122.pdf". The system tray shows the date as 01-06-2016 and the time as 23:11.

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

Ease of Doing Business - F X labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms DIPP DASHBOARD labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

अधिनियम का नाम :- **बोनस भुगतान अधिनियम, 1965** समय :..... स्थान :.....

स्थापना/संस्थान का नाम एवं पता :-

पंजीयन/अनुज्ञापित क्रमांक :-..... कार्य का स्वरूप :-

नियोजक/ठेकेदार का नाम एवं पता:-

प्रमुख नियोजक का नाम एवं पता:-.....

नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या पुरुष :..... महिला :..... योग :.....
उक्त संस्थान/कारखाने/ठेका कार्य का निरीक्षण श्री

पद की उपस्थिति में किया गया एवं निम्न टीप अंकित की गई :-

- धारा 19, 26 एवं 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार अभिलेखों का निरीक्षण किया।
 - निर्धारित समयावधि 30 नवम्बर के पूर्व बोनस भुगतान किया गया। (धारा - हॉ/नहीं 19)
 - संस्थान में एलोकेबल सरप्लस की पंजी प्रपत्र "ए" में रखी गयी। (धारा - हॉ/नहीं 26 नियम 4(ए))
 - संस्थान में सेट ऑन सेट ऑफ की पंजी प्रपत्र "बी" में रखी जाना। - हॉ/नहीं (धारा 26 नियम 4(बी))
 - कर्मचारी/श्रमिक के बोनस भुगतान की पंजी प्रपत्र "सी" में रखी जाना। - हॉ/नहीं (धारा 26 नियम 4(सी))
 - निरीक्षक के निर्देश अनुसार चाही गयी जानकारी बोनस के अनुपात - हॉ/नहीं निर्धारण बाबद प्रस्तुत करना। (धारा 27 नियम 2(4))
 - बोनस भुगतान की जानकारी निर्धारित समयावधि में कार्यालय में प्रस्तुत - हॉ/नहीं किया गया। (धारा 26 नियम 5)

उपरोक्तानुसार उल्लंघनों के संबंध में स्पष्टीकरण दिवस में कार्यालय में अभिलेख सहित प्रस्तुत करें अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

निरीक्षक
बोनस भुगतान अधिनियम 1965

Labour - Point no. 246.pdf Labour - Point no. 246.pdf Q122.pdf Show all downloads...

23:13
01-06-2016


http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391

Circular Details

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391

25 May 2016, 13:45:10 IST

Portal Home | Login |



Madhya Pradesh Labour Portal

Madhya Pradesh Government, Labour Department

Menu

Home |

Circular Details: Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17

Circular No :	1/17/IX/Enf/2016/7927-95	Circular Date :	10/03/2016
Circular Subject :	Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17	Attached File :	Download Attachment View Attachment
Issued By :	Office of Labour Commissioner	For Whom :	Public

ILVCircular.aspx

1 / 3

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर-452007
Phone: 0731-2432822, Fax: 0731-2536600

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2016/ 7927-95 इन्दौर, दिनांक 10-3-16,
प्रति,

समस्त उप श्रम आयुक्त इन्दौर/भोपाल(म.प्र.)
समस्त संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)
समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)
समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

विषय- वर्ष 2016-17 के लिए श्रम अधिनियमों में निरीक्षणों के संबंध में दिशा-निर्देश।

श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुक्रम में निरीक्षणों में पारदर्शिता बनाये रखने तथा सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने और ईज ऑफ टैंग नियंत्रण को प्रबलित करने का दिनांक 2016-17 के लिए निरीक्षणों के